

Filling no. RCS-A/12/2018

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 02 ए / 2018

**न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)**

Filling no. RCS-A/12/2018

CNR no. MP30010000232018

सिविल वाद क्रमांक 02 ए / 2018

संस्थित दिनांक :-03 / 01 / 2018

1. मुन्नी देवी पुत्री सेवाराम बघेल, उम्र-48 वर्ष,
निवासी-गजराज सिंह का पुरा, मौजा बाराखुर्द,
वर्तमान पता-वकील का पुरा, गोअर खुर्द,
परगना व जिला-भिण्ड (म0प्र0)

2. आशा देवी पुत्री सेवाराम बघेल, उम्र-45 वर्ष,
निवासी-गजराज सिंह का पुरा, मौजा बाराखुर्द,
वर्तमान पता-अमायन, परगना मेहगौंव,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....आवेदकगण / वादीगण

// बनाम //

1. शेर सिंह पुत्र परशुराम बघेल,
निवासी-गजराज सिंह का पुरा,
मौजा बाराखुर्द, परगना व जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....असल अचावेदक / प्रतिवादी

2. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....तरतीबी प्रतिवादी

वादीगण द्वारा अधिवक्ता श्री श्याम शरण मेहरोत्रा।
प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा श्री सतेन्द्र सिंह कुशवाह अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 2 पूर्व से एकपक्षीय।

// आदेश //

(आज दिनांक 16.03.2018 को घोषित)

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 1 / 18 का निराकरण किया जा रहा है।

2. इस मामले में ग्राम गजराज सिंह का पुरा, मौजा बाराखुर्द, परगना व जिला भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्र0 772 क्षे0 0.260 हे0 (एतस्मिन् पश्चात् "विवादित भूमि" से निर्दिष्ट) और उक्त ग्राम में ही स्थित फर्द जगह 40 गुणा 84 फीट चतुर्सीमा पूरब

में आम रास्ता, पश्चिम में रामलखन, उत्तर में मुलायम व दक्षिण में रामनरेश का मकान पर (एतस्मिन् पश्चात् “विवादित स्थान” से निर्दिष्ट) वादीगण के 1/2 अंश के संबंध में स्वत्व की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का विवाद है।

3. वादीगण का आवेदन संक्षेप में यह है कि पद क्रमांक 3 में दर्शित वंशवृक्ष के अनुसार सेवाराम के दो पुत्र रामबाबू (निःसन्तान मृत) व विजयराम (निःसन्तान मृत) थे, वादीगण उक्त सेवाराम की पुत्रियां हैं और मृत रामबाबू व मृत विजयराम की बहन होने से उत्तराधिकारी हैं। विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों में रामबाबू व विजयराम पुत्रगण सेवाराम और प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता परसुराम के नाम पर समान भाग दर्ज रही हैं। परसुराम की मृत्यु के बाद विवादित भूमि के 1/2 भाग पर प्रतिवादी क्रमांक 1 शेर सिंह का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया, वादीगण का नाम दर्ज किया जाना है और विवादित स्थान फर्द जगह पर भी वादीगण के पिता मृतक सेवाराम व प्रतिवादी क्रमांक 1 का समान भाग पर स्वत्व है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने दिनांक 25.12.2017 को यह धमकी दी कि वह अपना हिस्सा विक्रय कर देगा, इस संबंध में मुलायम से बातचीत भी की जा चुकी है, वादीगण अपनी ससुराल में रहती हैं और यदि बिना बंटवारा कराये प्रतिवादी क्रमांक 1 विक्रय कर देता है तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। उक्त परिस्थितियों में वादीगण ने स्वत्व की घोषणा हेतु वाद संस्थित किया है, प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है और अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादी क्रमांक 1 को निषेधित किया जाये कि वह विवादित स्थान का विक्रय या हस्तांतरण न करे।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 का जवाब संक्षेप में यह है कि वादीगण ने गलत वंशवृक्ष प्रस्तुत किया है, रामबाबू की पत्नी लाडो व पुत्र सोनू हैं जो रामबाबू व विजयराम के उत्तराधिकारी हैं और वादीगण का कोई भी हक या हित नहीं है। विवादित जगह पर 23 गुणा 60 फीट में प्रतिवादी क्रमांक 1 का मकान बना है, उत्तर में शेष 10 फीट खाली भूमि मवेशी बांधने व कण्डा की जगह के रूप में प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा ही उपयोग की जा रही है, विवादित स्थान प्रतिवादी क्रमांक 1 के एकल स्वत्व व कब्जे का है और वादी का कोई हक व हित नहीं है। वादी के पक्ष में कोई भी वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है, वाद में आवश्यक पक्षकारों का अभाव है और केवल परेशान करने की नियत से झूठा व मनगढ़न्त दावा प्रस्तुत किया गया है। वादीगण के पक्ष में कोई मामला नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी नहीं है और अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाये।

5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार**विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 से 3 :-**

6. वादीगण का यह अभिवचन है कि वे सेवराम की पुत्रियाँ हैं, मृत रामबाबू व मृत विजयराम की बहन होने के नाते वादीगण उत्तराधिकारी हैं और विवादित भूमि पर रामबाबू व विजयराम के हिस्से में वादीगण का स्वत्व है। इसके विपरीत प्रतिवादी क्रमांक 1 के अनुसार मृत रामबाबू के उत्तराधिकारी पत्नी लाडो व पुत्र सोनू जीवित हैं और वादीगण का कोई हक नहीं है।

7. विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 772 क्षेत्र 0.260 हे० के राजस्व खसरा वर्ष 2017-18 में प्रतिवादी क्रमांक 1 शेर सिंह व उसकी बहनों का नाम 1/2 भाग पर दर्ज है, शेष 1/2 भाग पर रामबाबू व विजयराम का नाम दर्ज है और ऐसी कोई आशंका नहीं है कि रामबाबू व विजयराम के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज 1/2 हिस्सा प्रतिवादी क्रमांक 1 शेर सिंह विक्रय कर सकता है।

8. वादीगण की ओर से उप सरपंच का पंचनामा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वादीगण को सेवराम की पुत्री व रामबाबू विजयराम की बहन बताया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से सरपंच का पंचनामा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें रामबाबू की पत्नी लाडो व पुत्र सोनू के होने का उल्लेख है और पंचनामा के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। मृत रामबाबू व मृत विजयराम की एकमात्र उत्तराधिकारी वादीगण हैं या नहीं, यह तथ्य साक्ष्य के उपरान्त गुण-दोष पर ही न्यायनिर्णीत किया जा सकता है और इस प्रक्रम पर विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 772 पर रामबाबू व विजयराम का नाम ही खसरे में दर्ज होने से इस बात की कोई संभावना नहीं है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 शेर सिंह अपने 1/2 हिस्से से अधिक भूमि विक्रय कर देगा।

9. जहाँ तक विवादित स्थान फर्द जगह का संबंध है, अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे कि यह प्रकट हो कि विवादित स्थान व उससे सम्पृक्त खुली जगह पर रामबाबू व विजयराम का स्वत्व था। मृत रामबाबू व मृत विजयराम की बहनें वादीगण अपनी ससुराल में रहती हैं, ऐसी दशा में विवादित स्थान पर किसी भी दशा में वादीगण का कब्जा प्रकट नहीं होता है और स्वत्व के दस्तावेजों के अभाव में प्रथम दृष्ट्या मामला भी वादीगण के पक्ष में नहीं है।

10. इस मामले में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 772 के खसरे में केवल 1/2 भाग पर प्रतिवादी क्रमांक 1 शेर सिंह व उसकी बहनों का नाम दर्ज है, वर्तमान खसरा वर्ष 2017-18 में भी शेष 1/2 भाग पर रामबाबू व विजयराम का नाम दर्ज है और प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा मृत रामबाबू व मृत विजयराम का हिस्सा विक्रय करने की

कोई युक्तियुक्त संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 वादकालीन अंतरण को वाद के परिणाम के अधीन रखती है और किसी भी दशा में वादी को अपूर्णनीय क्षति होने की कोई युक्तियुक्त संभावना नहीं है।

11. विवादित स्थान के संबंध में वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या भी कोई मामला प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसी दशा में वादी को कोई अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य नहीं है और सुविधा का संतुलन भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पक्ष में नहीं है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नंबर 1/18 स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाता है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)